

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 91/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. भैरूलाल पिता प्यारचंद जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. सुरेशचन्द्र आत्मज जीवराज जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. पारस पिता जीवराज जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. मु0 बदाम बैवा जीवराज जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता हरलाल जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. राजू पिता शंकरलाल जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. मुकेश पिता शंकरलाल जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. लोकेश पिता बद्रीलाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
5. मु0 गीता बैवा बद्रीलाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
6. डालु पिता बरदा बलाई (सालवी) निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
7. श्यामलाल पिता गोविन्द शर्मा (ब्राह्मण) निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
8. जगदीश पिता गोविन्द शर्मा (ब्राह्मण) निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
9. उदयराम पिता नाथू जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
10. रामेश्वरलाल पिता देवीलाल जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।
11. भंवरलाल पिता देवीलाल जाट निवासी डेलाना तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-21.01.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम डेलाना, पटवार क्षेत्र डेलाना, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 1549 रकबा 0.44 है0, 1550 रकबा 0.02 है0, 1551 रकबा 0.02 है0, 1556 रकबा 0.07 है0, 1557 रकबा 0.10 है0, कुल किता 5 रकबा 0.65 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 262 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 11बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाना, पटवार क्षेत्र डेलाना, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 1549 रकबा 0.44 है0, 1550 रकबा 0.02 है0, 1551 रकबा 0.02 है0, 1556 रकबा 0.07 है0, 1557 रकबा 0.10 है0, कुल किता 5 रकबा 0.65 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौकें पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडा)

